

सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ पुलिस साइन्स एण्ड मैनेजमेन्ट, आर.पी.ए., जयपुर।


क्रमांक:-क-1(2)सीडीपीएसएम/आयकर रिटर्न/2025-26/ 49 दिनांक:- 04/06/2026

-:कोटेशन सूचना:-

सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ पुलिस साइन्स एण्ड मैनेजमेन्ट, आर.पी.ए., जयपुर संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। संस्था की वित्तीय वर्ष 2026-2027 के वार्षिक लेखों से संबंधित आयकर विभाग को समय-समय पर निम्न तालिकानुसार रिपोर्ट भिजवाया जाना प्रस्तावित है। कार्य की अनुमानित लागत 45,000 हजार रुपये होगी। इच्छुक निविदादाता अपनी दरें कोटेशन में अंकित कर दिनांक 11.06.2026 को दोहपर 1.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से किया जाएगा। प्राप्त कोटेशन उसी दिन दोपहर 3.00 बजे खोले जायेंगे। कार्य की विस्तृत जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।


S.n.	Description of Services	Amount	GST	Total Amount
1	AUDIT SERVICES AUDIT FOR FINANCE YEAR 2026-2027			
2	TDS CONSULTANCY 4 QTRLY TDS & GST RETURNS FOR FINANCE YEAR 2026-2027			
3	INCOME TAX CONSULTANCY INCOME TAX RETURN FOR FINANCE YEAR 2026-2027			
4	CERTIFICATION WORK IF REQUIRED FINANCE YEAR 2026-2027			

- कोटेशन के साथ फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन संलग्न करना अनिवार्य है।
- सी.ए. आई.सी.ए.आर. में रजिस्टर्ड हो तथा प्रेक्टिसरत सी.ए. होना अनिवार्य है।
- चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का UDIN नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- कोटेशन पर शर्तें RTPP Act & Rules तथा GR&AR अधिनियम 2012 एवं 2013 लागू होंगे।
- कोटेशन पत्र में वर्णित कार्य के लिए फर्म का मूल रूप से कार्य करने वाली होनी चाहिए इसी अभाव में यदि जांच में पाया गया की फर्म कार्य करने में सक्षम नहीं है या अधिकृत नहीं है, या निविदत वस्तु में कार्य नहीं करती है तो कोटेशन उपापन समिति द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- कोटेशन पत्र फर्म द्वारा लेटर पेड पर पूर्ण विवरण के साथ यथा पूर्ण पता मोबाईल नंबर तथा अन्य व्यय सूचनाएं अंकित की जाने इसके लिए/आधार कार्ड/पेन कार्ड/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन/इसके अभाव में कोटेशन फर्म द्वारा प्रस्तुत कोटेशन निरस्त कर दिया जाएगा।
- फर्म द्वारा लेखों की जांच हेतु स्वयं के स्तर पर लाने ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।
- फर्म द्वारा दरें वार्षिक प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त दरों के अलावा किसी प्रकार का चार्ज अलग से देय नहीं होगा।
- अनुमोदित किये जाने पर जारी कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करना होगा।
- अंकेक्षित कार्य उपरान्त तैयार लेखे पंजीबद्ध/फाईल जिल्द सहित आदि तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।


उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- सहायक निदेशक प्रशासन/सीडीपीएसएम, आरपीए, जयपुर
- लेखाधिकारी, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रोग्रामर आरपीए को भेजकर लेख है कि कोटेशन सूचना को rpa.rajasthan.gov.in साईड पर अपलोड करें।
- प्रभारी सीडीपीएसएम /नोटिस बोर्ड, आरपीए, जयपुर।
- मैसर्स.....।


उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।